मध्यप्रदेश विधान सभा

जून - अगस्त, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 28 जून, 1991 (आषाढ़ 7, 1913)
समय 10.30 बजे

1-प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची मे सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेगे.

2- पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च 1989 को समाप्त वर्ष का क्रमांक 4 (राजस्व प्राप्तियां) पटल पर रखेगे.

3- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

1. श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, उज्जैन जिले की सहकारी समितियों में खाद बीज उपलब्ध न होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे.

2. सर्वश्री आरिफ अकील/रामानन्द सिंह,सदस्य भोपाल के रेतघाट एवं कुछ अन्य क्षेत्रो से हटाए गये लोगो को मूलभूत सुविधाये उपलब्ध न होने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे.

4- विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 55-हटा से वर्ष 1990 के आम चुनाव मे निर्वाचित सदस्य श्री रामकृष्ण कुसमरिया द्वारा विधान सभा में अपने स्थान का त्याग करने की सूचना.

निर्धारित समय 1 घंटा

5- नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

प्रदेश में खाद्यान्न एवं अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओ की कीमतो मे वृद्धि के संबंध मे श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य चर्चा उठायेगे.

6- अशासकीय विधि विषयक कार्य.

1 घंटा

श्री जालम सिंह पटेल,सदस्य, प्रस्ताव करेगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 25 सन् 1990) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार होने की दशा मे प्रस्ताव करेगे की विधेयक पारित किया जाय.

7- अशासकीय संकल्प.

(1) श्री मगन लाल गोइल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेगे:-

20 मिनिट

" सदन का मत है कि केशव शोध संस्थान का मुख्यालय ओरछा टीकमगढ मे स्थापित करते हुए उसे श्री हरिसिंग गौर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाय."

(2) श्री महेश तिवारी/श्री जालम सिह पटेल सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेगे:-

40 मिनिट

" सदन का मत है कि मध्यप्रदेश को तीन पृथक प्रदेशों में विभाजित कर छत्तीसगढ राज्य की स्थापना हेतु केन्द्र शासन से अनुरोध किया जाय."

(3) श्री मदनलाल त्यागी, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेगे :-

30 मिनिट

"सदन का मत है कि प्रदेश के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 55 वर्ष की जाकर सेवानिवृत्त व्यक्ति के परिवार के एक व्यक्ति को नियुक्ति योग्यतानुसार शासकीय सेवा मे प्राथमिकता के आधार पर दी जाये."

भोपालः

दिनांक 27 जून, 1991

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा